बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :–2/अ०प्र०–1–103/22 04 /पटना, दिनांक :– 9.1.23

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोहनिया अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के अधीन 05 निर्माणाधीन पथों का मुख्य अभियंता–1 द्वारा दिनांक 13.12.2022 एवं दिनांक 15.12.2022 तक की गई जॉच में कई त्रुटियाँ/अनियमितता यथा GSB एवं WBM Grade-III की मुटाई में कमी/WBM Grade-III Gradation test अनुज्ञेय सीमा के बाहर होने/Filler Material की मात्रा Permissible limit से अधिक होने/कहीं–कहीं BT Surface क्षतिग्रस्त होने/ Shoulder में मिट्टी कार्य नहीं किये जाने/पथ में निर्मित पुलियों पर Cushion का कार्य नहीं होने इत्यादि पाया गया।

2. उपर्युक्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर कार्य प्रमंडल मोहनिया अंतर्गत गौरा से नाथ टोला MMGSY(SC) पथ एवं लहुरबाडी कारीराम पथ से मापतपुर भाया गौराडीह PMGSY-III पथ में पाई गई त्रुटियॉ/अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक 2206 दिनांक 22.12.2022 द्वारा श्री संतोष कुमार तिवारी, कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल मोहनिया को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया परन्तु श्री तिवारी द्वारा ससमय अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में इन्हें कुछ नहीं कहना है। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में इंगित कार्य में पाई गई त्रुटियॉ/अनियमितता कार्य के पर्यवेक्षण में इनकी लापरवाही को दर्शाता है तथा इसके लिए वे प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते है। अतएव मामले की समीक्षोपरान्त संतोष कुमार तिवारी, कनीय अभियंता के विरूद्ध अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः संतोष कुमार तिवारी, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोहनिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री संतोष कुमार तिवारी, कनीय अभियंता का मुख्यालय मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में श्री तिवारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1) के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. श्री संतोष कुमार तिवारी, कनीय अभियंता के विरूद्व विभागीय कार्यवाही के संचालनार्थ अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा।

9/1/23

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः— 2/अ०प्र०—1—103/22 78 /पटना/दिनांकः— 9-1-23

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/जिला कोषागा पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/23

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः— 2/अ०प्र०—1—103/22 78 /पटना/दिनांकः— 9-1-23

प्रतिलिपिः—सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, मोहनिया/ प्रशाखा पदाधिकारी—4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री संतोष कुमा तिवारी, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोहनिया को सूचनार्थ एवं आवश्यव कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/23

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :— 2/अ०प्र०—1—103/22 78 /पटना/दिनांकः— 9-1-23

प्रतिलिपि :— आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/1/23

अभियंता प्रमुख

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@